



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1990/वैशाख 20, 1912
No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1990/VAISAKHA 20, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 1990

का.आ. 378(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंधन) (दो सौ ग्यारहवाँ) संशोधन नियम, 1990 है।

(2) ये तुरन्त प्रबुद्ध होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में :—

I. प्रथम अनुसूची में :—

(क) “15. उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “(IV) लोक उद्यम विभाग” उप-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(IV) भारी उद्योग विभाग”;

(ख) “23 कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उप-शीर्षक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

“(i) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग;

(ii) लोक उद्यम विभाग;

II. द्वितीय अनुसूची में—

(क) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “घ. लोक उद्यम विभाग” उप-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“घ भारी उद्योग विभाग;”;

(ख) “कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय” शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

1. निम्नलिखित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना :—

(i) 20 सूत्री कार्यक्रम को मानीटर करना ;

(ii) अवसंरचना संकेतों के कार्य-सम्पादन को मानीटर करना ; और

(iii) बीस करोड़ रुपये और उसके ऊपर की परियोजनाओं को मानीटर करना।

ख. लोक उद्यम विभाग

1. लोक उद्यम व्यूरो जिसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है।”

रामस्वामी वैकटरामन

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/90-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 1990

S.O. 378(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Eleventh) Amendment Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961

I. in the First Schedule,—

(a) under the heading “15. MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, for the sub-heading “(iv) DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG);”, the following sub-heading shall be substituted, namely:—

“(iv) DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)”;

(b) under the heading “23. MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKARAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)”, the following sub-heading shall be added, namely:—

“(i) DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKARAM KARYANVAYAN VIBHAG);

(ii) DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG);

II. in the Second Schedule.—

(a) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, for sub-heading “D. DEPARTMENT OF

PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)”, the following sub-heading shall be substituted, namely:-

“D . DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG);”;

- (b) for the heading “MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKARAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

“MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION
(KARYAKARAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)

**A. DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION
(KARYAKARAM KARYANVAYAN VIBHAG)**

1. Monitoring of the implementation of the following projects and programmes:-

- (i) Monitoring of 20 point programme;
- (ii) Monitoring of the performance of Infrastructure Sectors; and
- (iii) Monitoring of projects of Rs. 20 crores and above.

**B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES
(LOK UDYAM VIBHAG)**

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.”,

R. VENKATARAMAN
President

[No. 74/2/1/90-Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt. Secy.